न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/टी ए/5042/2005/नागौर

धन्नी बेबा चूनाराम कौम जाट साकिन पोटलिया मांजरा हाल सखवासी तहसील व जिला नागौर (फौत)

अपीलार्थी

बनाम

1. मोडाराम वल्द रावतराम (फौत)
2. नैनी नातायत औरत रामधन बेबा स्व. रावत कौम जाट साकिन पाटोलिया मांजरा तहसील नागौर (आदेश दिनांक 30-6-04से अधीनस्थ न्यायालय ने नाम हटा दिया है)
1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार नागौर

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ

श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

श्री धूकलराम कसवां सदस्य

उपस्थित

श्री दुनी चन्द ढिढारिया अभिभाषक अपीलार्थी

श्री एस.पी.सिंह अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः

1. यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के निर्णय व डिक्री दिनांक 20-9-05 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि सहायक कलेक्टर मुख्यालय नागौर के न्यायालय में अपीलार्थी वादी धन्नी ने प्रत्यर्थी प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद अधिनियम की धारा 88,53व 188 के तहत वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा पेश होने पर दावा एवं जबाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम कर अपने निर्णय दिनांक 21-8-85 से अपीलार्थी वादी का वाद खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 20-9-05 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. सर्वप्रथम उभय पक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगणक ी बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 8-6-06 एवं दिनांक 3-11-08 तथा प्रार्थना पत्र दिनांक 10-11-08 पर सुनी गई।

5. प्रत्यर्थी की ओर से दिनांक 8-6-06 को प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 10ए सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर कथन किया है कि उक्त अपील में वर्णित रेस्पो. संख्या 1 मोडाराम पुत्र रावतराम का स्वर्गवास दिनांक 2-5-06 को ग्राम पाटोलिया माजरा में हो गया है। अतः अपीलार्थीगण को हिदायत दी जावे कि मृतक के वारिसान को न्यायालय रेकार्ड पर लेने की कार्यवाही की जावे। इसके बाबजूद लगभग दो वर्ष तक कायम मुकामान बाबत कोई कार्यवाही नहीं की गई। तत्पश्चात दिनांक 3-11-08को प्रत्यर्थी की ओर से अपील अवेट किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद अपीलार्थी की ओर से दिनांक 18-11-08को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया है और अवेटमेन्ट को निरस्त

करने की प्रार्थना की है। साथ में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसका जबाब दिनांक 8–5–09को प्रत्यर्थी की ओर से मय शपथ पत्र दिया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध उक्त प्रार्थना पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा जानकारी की दिनांक से भी लगभग दो साल बाद अवेटमेन्ट को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इसलिये विधि अनुसार अपील अवेट योग्य हो जाती है। इस परिप्रेक्ष्य में अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत निम्न न्यायिक दृष्टान्तों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि–

(1) 2010RBJ page 628-(S.C.)-CODE OF CIVIL PROCEDURE,1908-Order 22 Rule 9-When after the death of appellant plaintiff no application was filed for bringing the LRs of the appellant on record-Delay is of 778days-Abatment is automatic and no specific order is required.

(2) 1997RLW(1)Raj. page 377-Civil Procedure Code, 1908-Order22Rule 9and Limitation Act,1963-Article 120& 121-Appeal abated automatically without any judicial order as soon as a party dies-In the present case an application was moved after seven years to set aside the abatment order which dismissed the appeal-No sufficient cause was shown to condone the delay-The deceased lived only a few kilometers away and one the appellants took part in the funeeal of the deceased -Held -Petition rejected.

(3) 2002DNJ(Raj.)501-Civil Procedure Code, 1908-O.22Rr.4&9r/wSec.151-LimitationAct,1963-Sec.5-Respondent-defendant died on 23-9-1999 but his legal representatives were not brought on record within limitation period of 90days and application for bringing legal representative of respondent has been filed u/O.22Rr.4&9

after 450days-Application u/s5 of Limitation Act for condonation of delay of 450days also filed-Plaintiff did not state reason as to ignorance of death of sole defendeant-respondent in this appeal- Appellant failed to prove essentials u/R.4(5)(a) to R.22-Appellant failed to show sufficient cause for not making an application to bring LRs of deceased-respondent within time or for not kaming an application to set aside abatement within time-Held, Applications filed by appellant dismissed and appeal is dismissed as abated.

(4) 2000RRD page 421-(DB)-Code of Civil Psrocedure, Order 22Rules 4,9&10-Appeal against order of RAA-Held, respondent p expired during pendency of appeal on 28-3-92 intimated to the court on 1-4-92- Application to set aside abatement was made on 27-7-93 i.e. after 15months in another case in 1992-Parties beling to same village-In application under Order 22Rule4CPC no prayer to set aside abatement was made- In application u/s5, Limitation Act, reason given is not satisfactory- Appellant was negligent inspite of knowledge-Order of RAA not condoning delay, held justified.

6. इस प्रकार प्रस्तुत अपील अवेट होने के आधार पर खारिज योग्य है।

7. जहां तक धन्नी के कायम मुकामान को रेकार्ड पर लेने का प्रश्न है, विचारण न्यायालय के समक्ष दावा धन्नी ने प्रस्तुत किया है। उसका कथन रहा है कि चूनाराम से उसकी शादी हो गई थी। चूनाराम को सम्बत 2016 में फौत होना कथन करती है। धन्नी ने अपने बयानों में यह कथन किया है कि

सम्बत 2016के बाद में खेताराम के यहां नाते चली गई थी। उससे मेरे 10 बच्चे हैं। इस तथ्य को उसने अपने बयानों में स्वीकार किया है। इस बाबत सरपंच का प्रमाण पत्र भी पत्रावली में संलग्न है। प्रत्यर्थी प्रतिवादी ने अपने जबाब दावे के मद संख्या 1 में यह कथन किया है कि यह सर्वथा गलत है कि वादिनी स्वर्गीय चूनाराम की बेबा हो अथवा वादिनी की कभी कोई शादी कभी भी स्व. चूनाराम के साथ नहीं हुई थी। चूनाराम तो नाबालिग अवस्था में ही बिना शादी के फौत हो गया था। इसलिये खेताराम के वारिसों को धन्नी का कायम मुकाम नहीं बनाया जा सकता है।

8. यहां यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मूल पुरूष रावताराम था जिसके दो पुत्र चूनाराम व मोडाराम व बेबा नोजकी थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने से पूर्व तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होने से पूर्व चूना राम फौत हो गया। इसकी पुष्टि विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी सम्बत 2010–13 एवं 2016–19 से होती है जिसके अनुसार विवादित आराजी अकेले मोडा के नाम दर्ज है तथा संरक्षक नोजकी दर्ज है। मूल पुरूष रावताराम के फौत होने के बाद उत्तराधिकार में यह आराजी मोडा के नाम दर्ज हुई है। यदि चूनाराम फौत नहीं हुआ होता तो मोडा के साथ चूना के नाम भी आराजी दर्ज होती। इसलिये अपीलार्थी का यह कथन मान्य नहीं है कि चूनाराम सम्बत 2016 में फौत हुआ और उसके फौत होने के बाद सम्बत 2016 में खेता राम के यहां नाते गई। सम्बत 2032–35 की जमाबन्दी में अपीलार्थी का नाम दर्ज हुआ है। इस बाबत न तो सक्षम अधिकारी के आदेश की प्रति और न ही नामान्तरकरण की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त दस्तावेज पेश करने की जिम्मेदारी अपीलार्थी की थी। अपीलार्थी ने यह भी साबित नहीं किया है कि उसकी शादी चूनाराम के साथ हुई और चूनाराम की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम प्रभाव में आने के बाद हुई। जबकि

इस तथ्य को अपीलार्थी को साबित करना था। इस प्रकार यदि प्रकरण के गुणावगुण पर भी विचार किया जावे तो हम पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने के बाद दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो से सहमत हैं।

९. उपरोक्त विवेचन,विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अबेट होने के आधार पर खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य